11-1-23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण, वकील अप्रार्थी सं० 5,6,7 एवं G.A. उपस्थित। अन्य अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रा०प० मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मु०न० 317/2022 मे बहस दिनांक 16-11-22 दूसरे न्यायालय मे व्यस्त होने से उपस्थित नही हो सके जिसके कारण प्रा०प० अदम हाजिरी व पैरवी मे खारिज हो गया। प्रार्थी वकील बाद मे उपस्थित हो गया था। अतः प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई की जावे।

वकील अप्रार्थी सं० 5,6 व 7 ने बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वकील प्रार्थी को बहस दिनांक 16-11-22 को बार-बार कक-कक (आवाज) लगाई गई थी। फिर भी वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए थे। अतः प्रार्थी का प्रा०प० मुकदमा पुनर्विलोकन खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। हम यह उचित समझते है कि पक्षकारों को न्याय मिले [illegible] मेरीट पर निर्णित किया जावे। [illegible] प्रा०प० स्वीकार किया जा[illegible] 317/2022 पुनः सुनवाई हेतु पेश हो। य[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल०एस० कुरी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.13 16:10:44 IST
Reason: SelfAttested